

अधिकारों के वर्गीकरण का सिद्धांत

1. अधिकार क्या है। (What are rights)

जब हम व्यक्ति और राज्य के परस्पर संबंध पर विचार करते हैं। तब बातें सामने आती हैं। एक व्यक्ति को राज्य से क्या-क्या प्राप्त होना चाहिए। ये उसके अधिकार हैं। दूसरे व्यक्ति को राज्य के लिए क्या-क्या करना चाहिए। ये उसके कर्तव्य (Duties) हैं। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ और अवसर हैं। जिनसे उसे आत्म-विकास में सहायता मिलती है।

हेरल्ड जे. लास्की के अनुसार, अधिकार सामाजिक

जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना आम तौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म-विकास की आशा नहीं कर सकता।

कानूनी अधिकारों के सिद्धांत (Theory of legal rights)

इस सिद्धांत के अनुसार, अधिकार राज्य की देन हैं। कानून के विधि-निर्णय ही अधिकार और अनधिकार का परिभाषा है।

ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत (Theory of historical rights)

इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन हैं। जब रीति-रिवाज लंबे-चलन के बाद स्थिर हो जाते हैं। तब अधिकारों का जन्म होता है। उदाहरण के लिए पति-पत्नी को एक दूसरे पर क्या-क्या अधिकार हैं।

इस सिद्धांत का मुख्य धृति यह है कि अधिकारों की-बना करत समय उचित, अनुचित (Right and Wrong) के प्रश्न को परे रख देता है।